



Neutral Citation No. – 2026:AHC:15140

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 94 वर्ष 2026

विनोद सोनकर और 6 अन्य

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील	:	अखिलेश कुमार यादव, नीरज श्रीवास्तव
प्रतिवादी के वकील	:	सीएससी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता की दलीलें सुनीं।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"i. प्रतिवादी संख्या 4/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, सदर, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 18.1.2021 को पारित आदेश और उससे संबंधित संपूर्ण कार्यवाही पर तत्काल रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान रोक लगाई जाए।"

ii. प्रतिवादी संख्या 2 को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उसके समक्ष लंबित पुनरीक्षण संख्या 388/2021 का निर्णय करने का आदेश/निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 31/32 के तहत कार्यवाही से संबंधित याचिकाकर्ता की ओर से दायर की गई उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका, उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद के समक्ष वर्ष 2021 से लंबित है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि लंबित पुनरीक्षण याचिका का समयबद्ध तरीके से शीघ्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निपटारा करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 31/32 के तहत उपर्युक्त पुनरीक्षण संख्या 388/2021 का निर्णय पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद विधि के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः एक दिन के भीतर, गुण-दोष के आधार पर करने का निर्देश दिया जाता है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो महीने की अवधि।

5. तदनुसार, रिट याचिका का अंतिम निपटारा किया जाता है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"